

स्मरण पत्र

क्रमांक: F 4(1)वित्त /SPFC /2013

दिनांक: 25.09.2020

समस्त विभागाध्यक्ष,  
राजकीय विभाग/निगम/मण्डल  
राजस्थान सरकार

विषय:—राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु आपके विभाग के नोडल ऑफिसर की सूचना प्रेषित करने  
बाबत।

संदर्भ:—वित्त(जीएण्डटी) विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06.07.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 17 के अंतर्गत उपापन से संबंधित सूचनाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp) पर प्रकाशित/अपलोड किये जाने में समन्वय का दायित्व विभागाध्यक्ष द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा किए जाने के संबंध में समस्त विभागाध्यक्ष, राजकीय विभाग/निगम/मण्डल राजस्थान सरकार को पत्र दिनांक 06.07.2020 को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के क्रम में वाछित सूचना आदिनांक तक कई विभागों से अप्राप्त है।

राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (एसपीएफसी) में संधारित विभागाध्यक्षों/नोडल अधिकारियों के रजिस्टर को अपडेट किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्षों व नोडल अधिकारियों की सूचना 10 अक्टूबर 2020 तक भिजवाने का श्रम करावें व सूचना की एक प्रति [cao.spfc@rajasthan.gov.in](mailto:cao.spfc@rajasthan.gov.in) पर भी प्रेषित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

  
(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

